भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 812

23 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

एसबीएम-यू के तहत महाराष्ट्र में परियोजनाओं की स्थिति

812. श्री अरविंद गणपत सावंतः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के अंतर्गत महाराष्ट्र में अनुमोदित और कार्यान्वित की गई परियोजनाओं का शहरी स्थानीय निकाय-वार और घटक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक मुंबई दक्षिण लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत अनुमोदित, जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-बार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मिशन के अंतर्गत उक्त निर्वाचन क्षेत्र में कितने व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है;

(घ) उक्त निर्वाचन क्षेत्र के शहरी स्थानीय निकायों में घर-घर जाकर कचरा संग्रहण, स्रोतों के पृथक्करण और वैज्ञानिक अपशिष्ट निपटान के अंतर्गत कितने प्रतिशत परिवारों को शामिल किया गया है;

(ङ) क्या मुंबई दक्षिण के शहरी स्थानीय निकायों में किन्हीं पुराने अपशिष्ट डंप स्थलों की पहचान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी निधियों आवंटित और उपयोग की गई है; और

(च) उक्त मिशन के अंतर्गत मुंबई दक्षिण लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में की गई क्षमता निर्माण पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) को महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाने और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का वैज्ञानिक प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समान रूप से लागू किया जा रहा है।

एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा तैयार की गई कार्य योजना और राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा विधिवत अनुमोदन के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। मंत्रालय स्तर पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

इसके अलावा, एसबीएम-यू के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां पूरे मिशन की अवधि के लिए आवंटित की जाती हैं, न कि वार्षिक आधार पर। एसबीएम-यू और एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य को जारी की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

एसबीएम-यू 2.0 के शौचालय निर्माण घटक के अंतर्गत, 163.80 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता के साथ 1,88,334 वैयक्तिक घरेलू शौचालय सीटों (आईएचएचएल), 3,238 सार्वजनिक शौचालय सीटों, 16,905 सामुदायिक शौचालय सीटों, 4,385 आकांक्षा अनुरूप शौचालय सीटों और 6,830 मूत्रालयों के निर्माण के लिए कार्य योजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक के अंतर्गत, 516.74 लाख मीट्रिक टन पुराने अपशिष्ट के निपटान, 5,396.04 टन प्रतिदिन (टीपीडी) अपशिष्ट से खाद बनाने वाले संयंत्र, 837 टीपीडी बायो-मीथेनेशन संयंत्र, 4,606 टीपीडी सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं (एमआरएफ), 700 टीपीडी अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र, 1,635.17 टीपीडी सैनिटरी लैंडफिल (एसएलएफ), 4,536.06 टीपीडी ट्रांसफर स्टेशनों, 2,935 टीपीडी कन्स्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन (सी एंड डी) संयंत्र और 100 यांत्रिक सड़क सफाई मशीनों के लिए कार्य योजनाएं अनुमोदित की गई हैं जिनकी कुल कुल केंद्रीय हिस्सेदारी ₹1,331.18 करोड़ रुपए हैं।

प्रयुक्त जल प्रबंधन घटक के अंतर्गत, 1,349.3 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), 9,409.03 किलोमीटर के इंटरसेप्शन और डायवर्जन (आई एंड डी) नेटवर्क तथा 235 सेस पूल टैंकरों/डीस्लजिंग मशीनों की स्थापना के लिए 1,549.50 करोड़ रुपए की केंद्रीय हिस्से वाली कार्य योजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य द्वारा सूचित किया गया है कि सभी परियोजनाओं का ब्यौरा एसबीएम-यू 2.0, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पोर्टल https://sbmurban.org/swachh-bharat-mission-progess. पर उपलब्ध है।

(ग): महाराष्ट्र राज्य के लिए, एसबीएम-यू और एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत 6,29,819 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) सीटों के मिशन लक्ष्य की तुलना में 7,24,396 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) सीटों का निर्माण किया गया है तथा 59,706 सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय (सीटी/पीटी) सीटों के मिशन लक्ष्य की तुलना में 1,66,465 सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय (सीटी/पीटी) सीटों का निर्माण किया गया है। मंत्रालय स्तर पर शौचालय निर्माण से संबंधित यूएलबी-वार ब्यौरा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(घ)और(ड़) स्वच्छतम पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रहण, स्रोत पृथक्करण और वैज्ञानिक अपशिष्ट निपटान के अंतर्गत शामिल परिवारों के प्रतिशत से संबंधित यूएलबी-वार ब्यौरा तथा उपचारित अपशिष्ट की मात्रा और पुनः प्राप्त भूमि का क्षेत्र सहित पुराने अपशिष्ट डंप स्थलों से संबंधित ब्यौरा, स्वच्छ भारत मिशन प्रगति पोर्टल पर उपलब्ध हैं।https://sbmurban.org/swachh-bharat-mission-progress

(च): एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत, मिशन की निधि का 3% क्षमता निर्माण (सीबी) और ज्ञान प्रबंधन के लिए आवंटित किया जाता है। क्षमता निर्माण संबंधी पहलों में ज्ञान साझेदारों की सहभागिता, क्षेत्रीय आकलन और प्रमाणन के लिए तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) संबंधी पहलों का विकास और रखरखाव, मानव संसाधन (एचआर) में वृद्धि, प्रशिक्षण, सहकर्मी-शिक्षण, शैक्षणिक दौरे आदि शामिल हैं।

एसबीएम-यू 2.0 के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत, महाराष्ट्र राज्य को 224.70 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

अनुलग्नक

एसबीएम-यू के तहत महाराष्ट्र में परियोजनाओं की स्थिति के विषय में दिनांक 23.07.2026 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 812 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

एसबीएम-यू और एसबीएम-यू 2.0 के तहत महाराष्ट्र राज्य को जारी किए गए निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है : -

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	वर्ष-वार	जारी निधि
1.	2014-15	135.00
2.	2015-16	87.03
3.	2016-17	95.06
4.	2017-18	272.22
5.	2018-19	268.68
6.	2019-20	286.63
7.	2020-21	153.61
8.	2021-22	245.22
9.	2022-23	83.75
10.	2023-24	625.38
11.	2024-25	84.00
12.	2025-26	147.37
13.	2026-27 (दिनांक 18.07.26 तक)	56.61